

निष्पादन

(31)

अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोड्डा सदर।

आदेश-फलक

अतिक्रमण वाद सं० एवं अभिलेख सं० ..... 28 / 2018-19

मौजा-लालपुर शिमडा खाना नं० 369 खाता सं० 108 दाग नं० 424 रकबा 04-03-10  
किस्म तालाब

दिनांक	पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश एवं हस्ताक्षर	की गयी कार्रवाई
27-12-18	<p>मुख्यमंत्री जन संचार केंद्र, झारखंड रांची क शिकायत सं०- <u>2018-97200</u> दिनांक-..... रजि० सं० ..... के निष्पादन हेतु <u>मौजा- लालपुर शिमडा खाना नं० 369, खाता नं० 424</u> <u>दाग नं० 424, रकबा 04-03-10</u> अतिक्रमण का नापी करते हुये संबंधित हलका कर्मचारी/ अंचल अमीन विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक, गोड्डा सदर के माध्यम से समर्पित करे।</p> <p align="right"><i>[Signature]</i> 27-12-18</p>	
03-01-19	<p>अभिलेख उपस्थापित। हलका कर्मचारी/अंचल अमीन के द्वारा अंचल निरीक्षक, गोड्डा के माध्यम से प्राप्त प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में समर्पित किया गया है, जो अभिलेख में संलग्न है। प्रतिवेदन का अवलोकन किया। जांच प्रतिवेदन के अनुसार अतिक्रमित भूमि मौजा <u>लालपुर शिमडा</u> खाता सं० <u>108</u> दाग नं० <u>424</u> किस्म <u>तालाब</u> रकबा <u>04-03-10</u> <u>घुंर</u> खतियान में दर्ज है। उक्त भूमि को श्री <u>जितन दास</u> एवं अन्य कुल <u>04</u> व्यक्तियों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। अतिक्रमणकारियों का विस्तृत प्रतिवेदन संलग्न है। अतिक्रमित भूमि लोक भूमि के श्रेणी में है। अतः मौजा <u>लालपुर शिमडा</u> के अतिक्रमणकारियों को दो सप्ताह के अंदर अतिक्रमित भूमि को खाली करने हेतु नोटिस निर्गत करे।</p> <p align="right"><i>[Signature]</i> 3/1/19</p>	


अंचल अधिकारी,  
गोड्डा सदर।


अंचल अधिकारी,  
गोड्डा सदर।

18-1-19  
23-1-19

अभिलेख उपस्थापित। भोजा- लालपुर थिगडा के क्रमांक 01 से 06 तक अतिक्रमणकारियों के द्वारा मुक्तक अतिक्रमण भूमि को खाली नहीं किया गया है।  
अतः अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु प्रपत्र-II में नोटिस जारी करें।

अभिलेख दिनांक 07-02-19 को करें।

लेखापति  



  
23-1-19

अंचलधिकारी  
गोडा मंडल

31/9/19

अभिलेख उपस्थापित। दिनांक 7-2-2019 को अतिक्रमणकारियों को खाली करने हेतु प्रपत्र-II में नोटिस किया गया। परंतु आज तक खाली नहीं किया गया है। अतः अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु प्रपत्र-II में नोटिस जारी करें।  
अभिलेख दिनांक 21-9-19 को मातृशैल पदाधिकारी गोडा को कर लें।

लेखापति  


  
अंचलधिकारी  
गोडा मंडल

पं. 700

21.9.19

अभिलेख उपस्थापित। दिनांक 21.9.19 को अतिक्रमण भूमा  
को रवाली करों से संबंधित प्रतिवेदन फॉटो अंचल  
अधीन के द्वारा समाप्त किया गया है।  
(अभिलेख की कार्रवाई बंद की जा रही है।)

अभिलेख  
अ. अ. अ.

अं अ. अ.

21.9.19  
अंचल अधिकारी  
गोंडा